

संपादकीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकट किया खेद, न्यायाधीश की टिप्पणियों को बताया असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण



कई बार अदालतों के समान कुछ मामलों में कानून के बाराक बिटुआ का व्याख्या करने में अड़चन आ जाती है, मगर यह ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें कोई दिक्षित पेश आई होगा। फिर, अगर कहीं कोई संशय था, तो सुनवाई के बाद चार महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस बीच उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता था। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला देते वक्त अदालतों से घटना, तथ्यों और प्रमाणों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपेक्षा की जाती है। मगर विचित्र है कि कई बार निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय सुना देती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नाबालिंग के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में आया फैसला उसी का ताजा उदाहरण है। अदालत ने इस सबध में फैसला दिया कि संबंधित लड़की के साथ जो किया गया, उसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता। उचित ही, स्वतं संज्ञन लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खेद प्रकट करते हुए इसमें संवेदनशीलता की कमी रेखांकित की है और न्यायाधीश की टिप्पणियां को असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण वाला बताया है। यह बात किसी को गले नहीं उतर पा रही कि जब पाक्सो कानून में स्पष्ट रूप से किसी बच्चे के साथ गलत हक्कों को आपराधिक कृत्य माना गया है, तब कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक विवेचन करते समय यह गंभीर दोष नहीं जान पड़ा। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में तो उन्हें घूसने, गलत इशारे करने, पीछा करने आदि को भी आपराधिक कृत्य माना गया है। फिर उस लड़की के मामले में हर पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया? यह ठीक है कि कई बार अदालतों के समान कुछ मामलों में कानून के बारीक बिटुओं की व्याख्या करने में अड़चन आ जाती है, मगर यह ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें कोई दिक्षित पेश आई होगा। फिर, अगर कहीं कोई संशय था, तो सुनवाई के बाद चार महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस बीच उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता था। महिलाओं के समान और गरिमा के प्रति सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील रहा है। इसका बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष देखा गया, जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने कुछ शब्दों को महिला समान के विरुद्ध मानते हुए उनकी जगह समानजनक शब्द सुझाए थे। कुछ अशोभन कहे जाने वाले शब्द, जो प्राय-महिलाओं से जुड़े मामलों में लंबे समय से अदालतों में प्रयुक्त होते आ रहे थे, उन्हें बदल दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शब्दों की सूची बना कर देश की सभी अदालतों में प्रसारित किया था। इसके बावजूद अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश ने महिला अस्मिता से जुड़े अहम पक्षों को सरसरी ढंग से देखने का प्रयास किया, तो उस पर सबाल उठने स्वाभाविक हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मामलों में पाक्सो और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग देखा गया है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि इससे किसी को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट मिल जाती है। पहले ही महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतें दर्ज कराने को लेकर चुप्पी साथ जाने या कदम वापस खींच लेने को लेकर चिंता जाताई जाती रही है। फिर, जांच में पूर्वाग्रह, दबाव, साठांट आदि के चलते पर्याप्त सबूत न मिल पाने के कारण दोष सिद्धि की दर बहुत कम रहना भी चिंता का विषय है। ऐसे में अगर अदालतें खुद अपने फैसलों में संकुचित दृष्टिकोण दिखाएंगी, तो ऐसे मामलों पर लगाम लगाने का भरोसा भला कैसे बन सकेगा।

हमें शहरी नियोजन में इन्हीं तीन सारों का समावेश करना होगा। भास्त

शहरी विकास का सही तरीका, अर्बन प्लानिंग के लिए ठोस प्रयास आवश्यक

दिशा देने की क्षमता के धनी हों। भारत में प्लानिंग एजुकेशन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। शहरी विकास के परिदृश्य को नए नज़रिये से देखना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही प्लानिंग एजुकेशन का रूपांतरण भी जरूरी है। अब हमें प्लानिंग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के व्यापक परिदृश्य बाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस दिशा में परिणाम आधारित शिक्षा की पहल उपयोगी होगी। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम कुछ इस तरह निर्धारित करना होगा कि वह रोजगार बाजार की तेजी से बढ़ती मांग के अनुरूप हो। उससे ऐसे स्नातक निकलें, जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ही लैस न हों, बल्कि उनके पास तकनीकी, विश्लेषणात्मक और संचाद के ऐसे कौशल होंं जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से जूँझ सकें। इसके साथ ही उनमें नीतियों के विश्लेषण की क्षमता हो और वे सामाजिक समानता और आर्थिक विकास की बारिकियों को समझते हों। प्लानिंग एजुकेशन को समाजशास्त्र आर्थिकी, पर्यावरण विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषयों को समझ और उन्हें समग्र रूप से अपनाने का पहलू पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। शहरी प्रबंधन, शहरी वित्त परियोजना विकास, नीति नियोजन तथा विश्लेषण जैसे विषय आधुनिक शहरी परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए बेहद आवश्यक हैं। संस्थानों को अस्थायी शिक्षकों वे बजाय प्रतिबद्ध और पूर्णाकलिक शिक्षकों में निवेश करना चाहिए। पर्यावरण परिवर्तन, समस्याओं से निपटने के लिए शहरों की क्षमता

अच्छा उदाहरण है। हम डाक्टरों को इस तरह तैयार करते हैं कि वे लोगों के जीवन की रक्षा करने की महती जेम्मेदारी का निर्वहन कर सकें।

उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में लगभग दस साल लगते हैं। इसके बाद वे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर अर्बन लानर हैं, जिन पर पूरे समुदाय के सुआम एवं सुखद जीवन का जिम्मा लेता है। क्या उन्हें तैयार करने के लिए केवल दो साल काफी हैं। मेडिकल शिक्षा की तरह अर्बन प्लानिंग को भी नात्र एक डिग्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें प्लानरों को लगातार विशेषज्ञते की प्रक्रिया से गुजाराना होगा। अर्बन प्लानिंग में विशेषज्ञता के कोर्स डिजेने चाहिए। इसी से हमारे प्लानर नवाचार और टिकाऊ शहरी विकास की अगणी पक्की में रहेंगे। शहरी

जोगिन के इस नए युग में जोर
नीकी विशेषज्ञता पर होना चाहिए।
राय लेने की प्रभावशाली प्रक्रिया
समन्वय के लिए साफ्ट स्किल्स
विकास जरूरी है। इसमें संवाद का
त्व बढ़ जाता है। कॉटैक्ट मैनेजमेंट
र खरीद के मामलों में इसकी
धिक जरूरत होती है। अबन
निंग को गंभीर और समर्पित पेशे के
में स्थापित करने के लिए
णिक संस्थानों, पेशेव समूहों और
टक्टनर्स सभी की ओर से ठेस
स आवश्यक हैं।

निरंतर सीखने की संस्कृति,
रोषज्ञता और जरूरी साफ्ट स्किल
साथ प्लानिंग एजुकेशन ऐसे पेशेवर
प्राप्त कर सकती है, जो शहरी विकास
बहुआयामी चुनौतियों का सामना
सकें। शहरी नियोजन के प्रति ऐसा
क्षोण न केवल आज की जरूरतों

सांसदों का आचरण, लोकसभा अध्यक्ष को बार-बार देनी पड़ रही नसीहत

लोकसभा अध्यक्ष
को एक बार फिर
सदन में सांसदों के
आचरण पर नसीहत
देनी पड़ी। इस बार यह
नसीहत राहुल गांधी

के संदर्भ में देनी पड़ी।
लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला ने राहुल
गांधी की ओर संकेत
करते हुए उनसे सदन
की गरिमा बनाए
रखने को कहा।
उनकी टिप्पणी से यह
तो स्पष्ट नहीं हुआ कि
वह उनकी किसकी
गतिविधि को
रेखांकित कर रहे थे।



नस्ल और रंग के
आधार पर भेदभाव
पूरी दुनिया में चिंता
का निशाच है।

भारतीय समाज भी
इससे मुक्त नहीं है।
सदियों से इस तरह
के भेदभाव में
महिलाएं कुछ ज्यादा
ही निशाने पर होती
आई हैं। दुख की बात
है कि न केवल
शिक्षित लड़कियां,
बल्कि बड़े ओहदे पर
आसीन महिलाएं भी
इससे बच नहीं पाई
हैं।

**सर्फ अपने लिए नहीं बिल्कुल
नी साबित होता है फायदेमंद,
क की निभाता है भूमिका**



लिए अच्छा श्रोता भी बनना पड़ता है।

एक अच्छा श्रोता मनोचिकित्सक की तरह होता है, क्योंकि वह किसी के मन में दबी हुई कड़वीयां बातें, अनुभव और बातों को बाहर निकाल कर उसके हृदय को भारहीन, पीड़ाविहीन कर उसे खुशी और संतुष्टि देता है। यानी अच्छा श्रोता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। यह शारीरिक-मानसिक दोनों रूप से होना चाहिए। धैर्यपूर्वक सुनने के बाद ही उसका उत्तर या उस पर अपने विचार प्रकट किया जाए, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपना विचार प्रकट करते हैं। अगर बिना बात को सुने हम किसी बात पर अपना विचार प्रकट करते हैं, तो वह अर्थहीन होगा, क्योंकि जब हम किसी की बात को पूरी तरह सुनेंगे नहीं, तो उस बात का सटीक उत्तर कहां से दे सकते हैं। अक्सर लोग सिर्फ अपनी बातों का एकलाप बताते हैं। एकलाप का अर्थ है सिर्फ अपनी बात कहते जाना, सामने वाले की

बिल्कुल नहीं सुनना। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह बात बहुत अजीब सकती है, लेकिन यही सच है। हर कोई अश्रोता नहीं होता है और न ही उसके पास अश्रोता बनने की कला होती है। जिस प्रकार अच्छा लिखने के लिए काफी कुछ पढ़ाया है, इसी प्रकार एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। कुछ लोगों के भीतर इतना भी शिष्टाचार नहीं होता है कि वे पूरी बात को सुनने के बाद अपनी बात रखें। वे बात को बीच में ही बदल कर या अनसुना करके अपनी बात कहना शुरूआत करते हैं और न सुन रहे तरह ध्यान दे रहे होते हैं और न सुन रहे होते हैं। ऐसे में वक्ता को घोर निराशा होती जबकि अगर कोई कुछ बोल रहा है या अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको अपने विचार समाप्त करने देना जरूरी होता है। वहाँ में टोकने से यह पता चलता है कि हम वास्तव में उनके विचारों की परवाह नहीं करते हैं। उनके लिए हमारे अंदर सम्मान की कमी जिसके कारण हम उन पर ध्यान नहीं दें रहे।

वहीं अगर कोई हमारी बात और हमारे विचारों में दिलचस्पी लेता है, तो हम खुश, संतुष्ट और अपने आप को उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं। श्रोता बनने के लिए हमें धैर्यपूर्वक दूसरों को अपनी बात कहने के लिए उत्साहित करना चाहिए। उनकी बातों में दिलचस्पी लेकर उनसे उनकी बात से संबंधित सवाल पूछने चाहिए। बीच में बात काट कर अशिष्टता नहीं करनी चाहिए और न ही विषय बदल कर अपनी अरुचि दिखानी चाहिए। यह हमारे अच्छा श्रोता बनने के मार्ग में बाधक बनता है। हम खुद यह विचार करके देखें कि हम किसी से अपनी पीड़ा, मनोभावना बांट रहे हैं और वह व्यक्ति हमारी बात को काट कर यह अनसुना करके अपनी बात कहना शुरू कर दे तो क्या भविष्य में ऐसे व्यक्ति से हम कोई बात कर पाएंगे? हमारा थोड़ा-सा प्रयास हमें अच्छा श्रोता बना सकता है और इस कला के विकसित करने के कई तरीके हैं। या तो हम स्वयं इस दिशा में प्रयास करें या हम किसी चिकित्सक की मदद लेकर अपने इसकी ओशन पर काम कर सकते हैं।

आज के दौर में रंग-भेद का लोग हो रहे शिकार, शारदा मुरलीधरन पर की गई अभद्र टिप्पणी इसका जीता जागता प्रमाण

हम बेशक आधुनिक कहलाने में गर्व महसूस करते हॉं, लेकिन स्थियों के प्रति, खासकर उनके रंग-रूप को लेकर सोच आज भी नहीं बदली है। उनकी सफलता को रंग-रूप के चश्मे से देखना विकृत मानसिकता का परिचायक है। नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। भारतीय समाज भी इससे मुक्त नहीं है। सदियों से इस तरह के भेदभाव में महिलाएँ कुछ ज्यादा ही निशाने पर होती आई हैं। दुख की बात है कि न केवल शिक्षित लड़कियां, बल्कि बड़े ओहदे पर आसीन महिलाएँ भी इससे बच नहीं पाई हैं। भारतीय स्थियों रंग-रूप को लेकर जीवन भर चुभने वाली टिप्पणियों का सामना करती हैं। जबकि यह हकीकत है कि हजारों-लाखों महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और संघर्ष से हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन उनमें से एक हैं। हालांकि अपने साथे रंग को लेकर समाज के पूर्वग्रिह से वे नहीं बच सकते। सोशल मीडिया के एक मंच पर पिछले दिनों उन्हें अपने बारे में अभद्र टिप्पणी पढ़ने को मिली। स्वाभाविक रूप से यह उन्हें नागवार किसी :



उन्होंना लिखा कि किसा ने मरे पति के रंग से परखा जाए। शारदा मुरलीधरन ने किसी व्यक्ति की अनुचित और अरुचिकर टिप्पणी का जवाब देकर पूर्वाग्रहों पर कठोर प्रहार किया है। हालांकि उहोंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के बाद उसे हटा दिया था, लेकिन बाद में कुछ शुभाचितकों के यह कहने पर लिखा कि इस विषय पर सामाजिक विमर्श होना चाहिए। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि रंग के मुद्दे पर शारदा के लिखे विस्तृत जवाब का बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया है। इससे पता चलता है कि कुछ लोग बेशक संकीर्ण सोच रखते हों, लेकिन समाज बदल रहा है।

हर एक महिला को अपने सपने साकार करने का स्वर्णम समय: भोपाल महापौर मालती राय

कलचुरी होली मिलन व नारीशक्ति सम्मान समारोह में भजन व फूलों की होली ने बांधा समां



-हिन्दुस्तान एक्सप्रेस न्यूज-

ग्वालियर। भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय ने कलचुरी महिला मंडल ग्वालियर द्वारा आयोजित होली मिलन एवं नारीशक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि की असंदी से कहा कि हर एक महिला को अपने-अपने सपने साकार करना चाहिए और अपने सपने को पाने के लिए जी जान से मेहनत करना चाहिए। क्योंकि अब समय स्वर्ण युग का समय है और साथ ही खुशी की बात है कि अब महिला व पुरुष में भेदभाव खत्म भी हो रहा है।

महापौर श्रीमती राय ने समाज बंधुओं और बहनों को होली मिलन समारोह की शुभकामनाएँ दीं, वहीं ही कलचुरी महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संगीत, खुशबू गुसा आदि ने भी विचार व्यक्त कर सभी को होली की शुभकामनाएँ दीं। संभागीय अत्यक्ष श्रीमती संगीता गुप्ता, सरकार आशा शिवहरे, पंचमी ल्योश सिक्करार ने कहा कि होली व रंग में समाज को जोड़ने और भाई-भाई कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इसके साथ ही कलचुरी महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संगीत, खुशबू गुसा आदि ने भी विचार व्यक्त कर सभी को होली की शुभकामनाएँ दीं। संभागीय श्रीमती आशा शिवहरे अत्यक्ष श्रीमती संगीता गुप्ता, सरकार आशा शिवहरे, पंचमी ल्योश सिक्करार ने कहा कि होली व रंग में समाज को जोड़ने और भाई-भाई बढ़ाने का है। हमें अपने बुजु़गों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि एक कार्यक्रम में गणेश अत्यक्ष दिल्ली से आयीं श्रीमती अदर्श नारायण ने कहा कि इस तहके कार्यक्रम एक समारोह एवं दिल्ली से आए रासलीला मंडली के घरानों के साथ हुआ। यह कार्यक्रम कलचुरी महिला मंडल द्वारा जीवाजी कलब में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती पृथुलता पावनी ने विशेष अतिथि पूर्व महापौर श्रीमती संगीता गुप्ता ने तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इसके साथ प्रदेश अत्यक्ष भोपाल, श्रीमती अंजना-हरीबाबू अत्यक्ष महिला मानवाधिकार आयोग जिला शिवहरे पार्षद नगर निगम ग्वालियर, श्रीमती रेखा-चंदन राय पार्षद नगर निगम ग्वालियर, श्रीमती शिवहरे पार्षद, मौरेना, मौरेना जिलाध्यक्ष अनीता शिवहरे, शिवपुरी जिलाध्यक्ष प्रियंका शिवहरे, डबरा अत्यक्ष नीलम शिवहरे, श्रीमती संगीता गुप्ता, जिलाध्यक्ष श्रीमती गायत्री शिवहरे, महासचिव श्रीमती रेनू शिवहरे, उपायक्ष श्रीमती ममता पवैया, श्रीमती सानम राय, श्रीमती अंजना शिवहरे पार्षद, पार्षद श्रीमती पायल शिवहरे, श्रीमती हमा शिवहरे, संयुक्त सचिव प्रीति राय, अनीता गुप्ता, सह सचिव बंदना गुप्ता, हेमलता शिवहरे, सुषमा शिवहरे लोहिया बाजार, कोपायक्ष सुषमा शिवहरे रंगत इन होटल, सह कोपायक्ष शिवहरे, संध्या गुप्ता, जिला शिवहरे सहित बड़ी संख्या में डबरा, मौरेना, मुरार, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी एवं दूर-दूर से कलचुरी माहिला मंडल की महिलाएँ मौजूद रहीं।



दिल्ली की विक्छी सुनेजा एण्ड पार्टी के कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

आयोजन के तहत दिल्ली की विक्छी सुनेजा एण्ड पार्टी के कलाकारों ने बहुत ही अक्षणक प्रस्तुतियां मंच पर दीं। विशेषकर राधा-कृष्ण की जौड़ी द्वारा जो प्रस्तुति दी गई वह प्रशंसनीय थी। उपस्थित लोगों ने कलाकारों का तहेंदिल से अभिनन्दन किया। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने भी अपनी-अपनी प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम के तहत फूलों की होली खेली गई। इस अवसर पर अंतिम अंतरण

किरण शिवहरे, रानी शिवहरे प्रवक्ता, कीर्ति गृहा, गौता राय, भावना शिवहरे, निधि जायसवाल, ममता शिवहरे, कार्यकारी सदस्य श्रीमती उर्मिला शिवहरे, माला राय, साधना शिवहरे, अनुराधा शिवहरे, सगीता शिवहरे, मधु शिवहरे, करण शिवहरे, पूजा शिवहरे, मृति शिवहरे, सीता शिवहरे, पूजा-अमर शिवहरे, ममता कम्पू माहिनी शिवहरे, वैशाली शिवहरे, निधि शिवहरे, प्रतिभा शिवहरे, शैफाली शिवहरे, किरता शिवहरे, सुनीति शिवहरे, कविता

सामाजिक पुरुष वर्ग की उपस्थिति

उक कार्यक्रम में कलचुरी कलार महासभा ग्वालियर के जिलाध्यक्ष श्री सुरेशनंद शिवहरे, महासचिव श्री रघुवीर राय, मुख्य संस्करक सेठ लक्ष्मीनारायण शिवहरे, चद्राकाश शिवहरे प्रधान संसाक दैनिक हिन्दुस्तान एक्सप्रेस, देवेन्द्र पवैया, अनु शिवहरे, धर्मेन्द्र शिवहरे, हरीबाबू शिवहरे, धर्मवीर राय, संजीव शिवहरे आदि की उपस्थिति रही।

श्रमिकों को संबल दे रही मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

द्वाया

23 हजार 162 परिवारों को ₹ 505 करोड़ की अनुग्रह दायी का अंतरण

28 मार्च, 2025 | दोपहर 2:30 बजे
मंत्रालय, भोपाल




नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

संबल योजना में गिर्ग वर्कर्स भी शामिल

- संबल योजना में 1 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रमिक भाई-बहन पंजीयन करा चुके हैं।
- अब तक कुल 6 लाख 58 हजार से अधिक प्रकरणों में राशि ₹ 5927 करोड़ से अधिक का हितलाभ वितरण किया गया है।
- पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹ 2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर ₹ 4 लाख की अनुग्रह सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक की स्थायी अपंगता पर ₹ 2 लाख, अंशिक स्थाई अपंगता पर ₹ 1 लाख की सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 5 हजार की अंत्येष्टी सहायता।
- सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिह्नित किया गया है।
- संबल हितग्राहियों को रियायती दरों पर राशन की सुविधा।
- संबल हितग्राहियों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत महाविद्यालय (मेडिकल, विधि, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक आदि) में शिक्षा हेतु सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा बहुत कम किया जाता है।
- पंजीकृत महिला श्रमिक व पुरुष श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत कुल ₹ 16 हजार की राशि की सहायता।



सीधा प्रसारण



Webcast.gov.in/mp/cmevents



@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhya pradesh



@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP



JansamparkMP

D11216/24

आकल्पन: म.प्र. माध्यम/2025

मध्यप्रदेश जनकल्याण द्वाया जाती

स्वामित्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक चन्द्रप्रकाश शिवहरे के लिए श्रीसिद्धीविनायक प्रिन्स, 26 वी, एस कॉम्प्लेक्स जॉन -1 एम.पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश से सुदित एवं 5-अपर्वा एन्कलेव, अयोध्या बाईपास, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। आर.एस.आई. नं. MPHIN/2007/18768

संपादक चन्द्रप्रकाश शिवहरे 94251-26060, संयुक्त संपादक- नीरज शिवहरे 9827359400, सहायक संपादक- संजय माकवे 9425375149, भोपाल कार्यालय- 5 अपर्वा एन्कलेव, अयोध्या बाईपास, भोपाल सभी विवादों का नाय लेने वाला न्यायालय होगा।